ट्रांसजेंडर समाचार पत्रिका

ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर
प्रौढ़, सतत शिक्षा और विस्तार विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

मई 2020 से जुलाई 2020

संपादक

डॉ. राजेश कुमार (प्रोफेसर, डीएसीईई, दिल्ली विश्वविद्यालय)

सम्पादकीय योगदान

डॉ. गीता मिश्रा (एसोसिएट प्रोफेसर, एमिटी विश्वविद्यालय)
विशाल कुमार गुप्ता, आकांक्षा सिंह
डॉ. बानीवॉरा और डॉ. बिरेश पच्चीसिया

नेटवर्क सहायक

डॉ. जे.के. मिश्रा, डॉ. पवन कुमार,
प्रमोद कुमार और जय प्रताप सिंह

अनुसंधान और संपादकीय योगदान

डॉ. गीता मिश्रा और नितीश आनंद

विशेष धन्यवाद

सामुदायिक योगदान
अमृता सरकार (साथी), रेहाना

डिजाइन : रामेश्वर गुप्ता (शोधार्थी, डीएसीईई, दिल्ली विश्वविद्यालय)
8630831266, ceo@kipzer.com

समाचार पत्रिका

नालसा जजमेंट ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर मानने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ऐतिहासिक फैसला था। यह ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने का एक प्रयास था। सुप्रीम कोर्ट के नालसा जजमेंट के बाद, भारत सरकार ने भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति और संभावनाओं के बारे में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने और तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया। राष्ट्रीय स्तर की समिति के लिए प्रोफेसर राजेश, दिल्ली विश्वविद्यालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के सन्दर्भ में अपने विचार दिए, जिसे विज्ञान भवन में स्वीकार किया गया और यह राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेज़ का हिस्सा बन गया। जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के लिए एक संदर्भ सामग्री।

डॉ. राजेश, डॉ. गीता मिश्रा, डॉ. असलम द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में ट्रांसजेंडर छात्रों को मुख्यधारा में लाने की चुनौतियों और अवसरों पर शोध अध्ययन किए गए। उनके अध्ययन के निष्कर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों में ट्रांसजेंडर के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पर बल दिया गया हैं। शैक्षणिक सत्र 2015-16 के दौरान में 65 आवेदकों के बावजूद कोई भी ट्रांसजेंडर छात्र इस दौरान नामांकित नहीं पाया गया। संस्थान के पास आधारभूत संरचना, शिकायत समिति, औपचारिक अभिविन्यास कार्यक्रम, छात्रों और संकायों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम की उचित व्यवस्था नहीं थी। अध्ययन ने शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर छात्रों के समावेशन के लिए उपयुक्त उपायों को भी प्रस्तुत किया। शोध पत्र का संदर्भ है: कुमार, आर., नावेद, ए., और मिश्रा, जी. (2016). अ स्टडी ऑन चैलेंजेज एंड ओप्पोरचुनिटी ऑफ़ मेनस्ट्रीमिंग ट्रांसजेंडर स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, इंडियन जर्नल ऑफ़ एडल्ट एजुकेशन, वॉल्यूम. 77, नं.3, पीपी.39-52, आईएसएसएन- 0019-5006.

प्रोफ़ेसर राजेश ने ट्रांसजेंडर- द थर्ड जेंडर फ्रॉम सोशल एक्सक्लूज़न टू एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया था। शोध का उद्देश्य सामाजिक बहिष्कार की ट्रांसजेंडर की स्थिति और रोजगार के के संदर्भ में समुदाय के विविध विचारों का अध्ययन और समझ।

इसके बाद, ट्रांसजेंडर समुदाय को अपेक्षित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, दिल्ली के प्रौढ़, सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग द्वारा शिक्षा, वकालत और अनुसंधान के माध्यम से ट्रांसजेंडर लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प लिया गया। डॉ राजेश ने विभिन्न विद्वानों, शोधकर्ताओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को एक साथ आने और उन्हें शिक्षा और रोजगार में मुख्यधारा में लाने की दिशा में काम करने के लिए ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर (TRC) की सुविधा प्रदान की। टीआरसी मार्च 2018 में उच्च शिक्षा में तीसरे लिंग को समाज के मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, ताकि वे भी एक बेहतर आजीविका हासिल कर सकें और अपना जीवन खुशहाल तरीके से जी सकें।

टीआरसी की स्थापना के बाद से स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि समुदाय को संवेदनशील बनाया जा सके और उन्हें स्कूल और कॉलेज स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। टीआरसी का पहला, उद्देश्य समुदाय को संवेदनशील बनाने और उन्हें एक तरफ प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना है और दूसरा, सहयोगियों को समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आगे आने के लिए एक मंच प्रदान करना है। टीआरसी का लक्ष्य लिंग विस्तार और ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित सभी हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है।

ट्रांसजेंडर के वास्तविक अनुभवी: साक्षात्कार

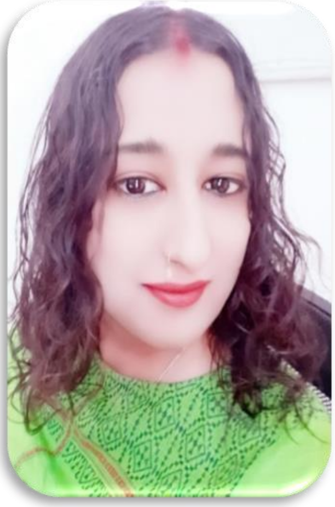

अमृता सरकार वर्तमान में SAATHI में प्रोग्राम मैनेजर और हेल्थ काउंसलर के रूप में काम कर रही हैं। उनका जन्म अमित्वा नाम के एक पुरुष बच्चे के रूप में हुआ था, जिसे भगवान बुद्ध का पर्याय माना जाता है। वह कोलकाता में पैदा हुई थीं और उस समय, उनके माता-पिता पारम्परिक मूल्यों में विश्वास करते थे जिसके कारण वह कई ऐसे काम करने के लिए प्रतिबंधित थीं, जो लड़कों को नहीं करना था, जैसे कि गुड़िया के साथ खेलना, घर के काम में मदद करना। वह एक बच्चे के रूप में वे अपनी माँ से काफी प्रेरित थी, जिसे वह एक देखभाल करने वाली, एक घर बनाने वाली और एक शिक्षक के रूप में देखती थी।

अमृता ने अपनी माँ को बहूत काम करते देखा, जबकि उसके पिता बस सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे और देर रात वापस आते थे।

वह अपनी माँ से प्रेरित थी जिसे उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में देखा था और वह सक्रिय रूप से संगीत और पढ़ने में भी व्यस्त थी। उनकी माँ ने उन्हें रवीन्द्र नाथ टैगोर के बारे में बताया और उन्हें संगीत की कक्षाओं में दाखिला दिलाया। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया। उनका मानना था कि उनकी माँ और रवीन्द्र नाथ टैगोर की प्रेरणा से उन्हें स्कूल, कॉलेज और पूरे जीवन भर सभी चुनौतियों से गुजरने में मदद मिली।

उनके शब्दों में **"आज मैं जो कुछ भी हूं वह मेरी मां और उनके द्वारा दिए गए मूल्यों के कारण हूँ।"**

स्कूल और कॉलेज दोनों में उसका अनुभव बहुत सुखद नहीं था और उन्हें स्कूल में तंग किया जाता था। उन्होंने अपने साथी-साथियों और संकाय सदस्यों से उदासीन व्यवहार का अनुभव किया जिससे उनके माता-पिता भी इस वजह से काफी परेशान रहते थे।

उसके अपने शब्दों में: "हर दिन कुछ न कुछ होता था। जिससे मेरे माता-पिता काफी परेशान रहते थे और उन्होंने मेरे व्यवहार को बदलने की कोशिश की लेकिन आखिरकार वे समझ गए कि वे मुझे नहीं बदल पाएंगे। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे माता-पिता को डॉक्टर के पास ले जाने का सुझाव दिया।"

उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य और सामुदायिक सेवा में बी.एससी और स्नातकोत्तर किया। इसके बाद उन्होंने अपना काउंसलिंग कोर्स किया और संगीत भी सिखा। उनके अनुसार, कॉलेज का अनुभव अधिक कठिन था क्योंकि यह एक सह-शिक्षा महाविद्यालय था और छात्र उसका मजाक उड़ाते थे। 1990 के दशक के दौरान ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में शायद ही कोई नीति थी और उस समय यह विचार था कि एक गैर-लिंगी व्यक्ति पागल होता है। शिक्षा संस्थानों में लैंगिक मानदंड काफी कठोर थे। शिक्षकों को लिंग पहचान या लिंग का पता नहीं था और पाठ्यक्रम भी इस पर चुप था। जेंडर आइडेंटिटी एक व्यापक दायरा है, लेकिन लोगों को लगता है कि लिंग केवल पुरुष और महिला के बारे में था, लिंग के गैर-पुष्टि करने वाले लोग, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमन भी हो सकते हैं।

“मैं बचपन से ही अपनी पहचान को लेकर काफी चिंतित थी और योवनावस्था एक लंबी प्रक्रिया थी। कभी-कभी मैंने लिपस्टिक, कभी-कभी बाल, कभी-कभी मेकअप किया। मुझे कॉलेज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं यूनिसेक्स कपड़े पहनती थी और मैं अपने माता-पिता, पड़ोसियों को बताना चाहती थी कि मैं कौन हूं। मैंने धीरे-धीरे बदलाव शुरू किये क्योंकि मैं यह बताना चाहती थी कि मैं गलत शरीर में फंसी हुई व्यक्ति हूं। स्कूल और कॉलेज का अनुभव मेरे लिए एक आपदा था।”

संकाय सदस्य अच्छे थे लेकिन लिंग परिपेक्ष्य के बारे में उनका ज्ञान सीमित था। शिक्षक दूसरे के दुर्व्यवहार और मजाक के व्यवहार को सही ठहराते थे और मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाते थे। वाशरूम में प्रवेश करना फिर से एक समस्या थी और जब उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई नहीं था, तो वह लड़के के वॉशरूम जाने का इंतजार करती थी। कॉलेज में जेंडर न्यूटर्ल वॉशरूम नहीं थे। उन्हें अपने कॉलेज के दिनों का एक अनुभव याद आया:

"टिफिन ब्रेक के दौरान मैंने अपने एक साथी से सलाह ली जो ज्योतिष जानता था। मैंने उससे पूछा की मै, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही थी। तभी एक अन्य छात्र ने मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाते हुए सबके सामने कहा कि मैं उसे कैसे छू सकता हूं, वो मेरी प्रेमिका है।"

हालाँकि उसने कहा कि सभी चुनौतियों के बीच, तुम्हारी शिक्षा पूरी करने की इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी।

उनके स्वयं के शब्दों में- “लोग किन्नरों को हिजड़ों के रूप में जानते हैं और मैं देख सकती थी कि मेरे पड़ोसियों द्वारा हिजड़ों के लिए टिप्पणी एक ही थी। अपने समुदाय के लिए कुछ करने के उद्देश्य से मुझे पढने को प्रेरणा मिली। हिजड़े कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकते थे क्योंकि वे शिक्षित नहीं थे ”

उन्होंने समुदाय के कल्याण के लिए अपनी पढ़ाई पूरी की क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा लोगों को सशक्त बना सकती है। वह अपनी पढ़ाई में अच्छी थी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दृढ़ थी।

अमृता को 2000 में नाज़ फाउंडेशन द्वारा अपना पहला HIV AIDS प्रशिक्षण मिला। 2003 में उनका पहला साक्षात्कार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ जब वह यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ी थीं। वे विश्व एड्स दिवस मना रहे थे और एक पत्रकार ने एक साक्षात्कार के लिए उनसे संपर्क किया और उन्होंने अपनी मां को यह बताने के लिए कि वह किस तरह के काम में रुचि रखती हैं, यह बताने के लिए उस प्रकाशित साक्षात्कार को दिखाने का फैसला किया और उनसे पूछा कि वह खुश होंगी या नहीं। उसकी मां ने कहा कि वह उनकी लिंग पहचान के बारे में जानती थी और जानती थी कि वह उनकी साड़ी पहनती थी। लेकिन उन्हें रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चिंता थी जो उसकी मदद नहीं करते। उसकी माँ को चिंता थी कि परिवार की अनुपस्थिति में उसके माता-पिता के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा और उन्हें डर था कि उसका जीवन कठिन होगा।

वह जनवरी 2005 के दौरान SAATHI में शामिल हुईं और 2008 में उन्होंने मेक्सिको में एक अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में भाग लिया और ट्रांसजेंडर मुद्दों पर एक फिल्म बनाई, फिल्म रूपांतर को केवल उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी और यह उसकी तस्वीर और सर्वनाम के साथ एक समाचार पत्र में भी आई थी। फिर उन्होंने अपने पिता के साथ अखबार क्लिप साझा करने का फैसला किया कि वह अपने समुदाय के लिए कुछ करने में दिलचस्पी रखती है। उसके पिता ने उसकी माँ के समान चिंता व्यक्त की और उन्हें डर था कि उसकी तरफ से कोई नहीं होगा। वे ऐसे समय थे जब ट्रांसजेंडर समुदाय की कोई सामाजिक मान्यता नहीं थी।

अमृता का मानना था कि ट्रांसजेंडर लोग उनके लोग थे और उनकी अपने समुदाय के प्रति कुछ जिम्मेदारी थी और वे शिक्षा के माध्यम से उनकी मदद करना चाहती थी। उन्हें लगता था कि उनका समुदाय से सम्बन्ध है ।

अमृता को इस बात का अहसास था कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में वह अपने पुरुष शरीर के साथ सहज नहीं थीं लेकिन उन्हें उस समय शारीरिक बदलाव और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसके अलावा वह इस बात से भलीभांति परिचित थी कि वह अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के बीच कोलकाता में अपने गृह नगर में ऐसा नहीं कर पाएगी। अनर्थ हो जाता।

2014 में उसे अपने मूल राज्य के बाहर दिल्ली में नौकरी मिली और उस समय तक वह सामाजिक विकास क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों से भी जुड़ी रही और अन्य लोगों को भी सर्जरी कराते देखा था। उन्होंने सेक्स-रीसाइनमेंट सर्जरी करवाने का फैसला किया और उससे पहले उचित जमीनी काम किया। वह एक चिकित्सकीय सलाह प्रक्रिया से गुजरना चाहती थी। उनके अनुसार

सर्जरी के लिए कुछ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से गुज़रना पड़ता था। शारीरिक बदलाव एक लंबी प्रक्रिया थी और इसी तरह यह उसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया थी।

यह उसके लिए एक लंबी यात्रा थी। अपनी सर्जरी करवाने के लिए उसने पर्सनल लोन लिया। 2014 में उन्होंने मुंबई में अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए और 2015 में उन्होंने अपनी योनि की प्लास्टर सर्जरी करवाई और सर्जरी के बाद उन्हें आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड जैसे सभी दस्तावेज मिल गए।

उनके अनुसार “हमारे देश में, हमारे पास शरीर बदलाव प्रक्रिया के लिए सर्जनों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश नहीं हैं। चिकित्सा पाठ्यक्रम भी नहीं है। नालसा जजमेंट के फैसले के बाद भी लिंग जांच सर्जरी की सुविधा भी नहीं है। हमारे देश में हमें निजी सर्जनों को जाना पड़ता है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अपेक्षित सुविधाएं नहीं होती हैं और समुदाय के लोगों को परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। कई डॉक्टर भी एलजीबीटीक्यू समुदाय के संघर्ष से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं।

SAATHI में शामिल होने से पहले काम के बारे में उसने एक कॉल सेंटर के साथ भी काम किया लेकिन वह ऐसा नहीं था जैसा वह करना चाहती थी। उस काम ने उसे तृप्ति और उद्देश्य की भावना नहीं दी। SAATHI में शामिल होने से पहले उसे अपने कार्यस्थल पर बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। SAATHI में, उसकी यात्रा बहुत सुगम थी और वह एक समय में एकमात्र ट्रांसजेंडर महिला थी और उसे SAATHI का बहुत समर्थन मिला।

उन्होंने यह भी माना कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रावधान किए गए थे लेकिन वो सब जमीन पर दिखाई नहीं देते है। जो विभाग समुदाय की सेवा करेंगे, वे तैयार और संवेदनशील नहीं थे और उन्हें सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता थी। शिक्षा मंत्रालय और नीति निर्माताओं को नीति क्षेत्रों का विश्लेषण करना होगा। माता-पिता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता थी। काम दो स्तरों पर होना चाहिए। एक समुदाय के साथ संपर्क में रहना होगा और साथ ही साथ जमीनी स्तर को तैयार करना। कुछ हेल्पलाइन और आश्वासन दिया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर संसाधन केंद्र एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं।

उनके शब्दों में: "प्रौढ़, सतत शिक्षा और विस्तार विभाग में ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सराहनीय काम कर रहा है और शिक्षा संस्थानों में ऐसे रिसोर्स सेंटर होने चाहिए"

- डॉ. गीता मिश्रा द्वारा साक्षात्कार

रिहाना

वर्चुअल काउंसलर, एडेंट

रिहाना का जन्म दिल्ली के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। 27 वर्षीय रिहाना एक ट्रांसजेंडर (ट्रांस महिला) है। रिहाना के परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। रिहाना के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है एवं उनकी माताजी ही परिवार को चलाती है। रिहाना की माताजी आंगनबाड़ी में काम करती है। रिहाना की स्कूली शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई थी। कक्षा 8 तक रिहाना बाल विद्यालय में पढ़ती थी, अब तक रिहाना को किसी भी प्रकार की असुविधा, दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा। रिहाना के स्कूल टीचर और साथी उनका सपोर्ट और उनको प्रोत्साहित करते थे, आगे पढ़ने के लिए । रिहाना के साथ भेदभाव बाल-बालिका विद्यालय 9वीं कक्षा से शुरू होता है। इस आयु तक रिहाना को अपनी लैंगिक पहचान का आत्म बोध होना शुरू होता है, कि उनकी आत्मा और शरीर में काफी अंतर है। इस दरमियान स्कूल में खासकर लड़कियों द्वारा उनके साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते थे, जैसे उनको चिढ़ाना, उनके लिए अपशब्द बोल कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना इत्यादि। किसी तरह रिहाना ने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। रिहाना की लैंगिक पहचान की वजह से परिवार में भी उनको मानसिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा जिस कारणवश रिहाना ने 2012 में अपना परिवार छोड़ दिया। रिहाना ने गैर सरकारी संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। 2014 में उन्हें परिवार ने दोबारा स्वीकार कर लिया था। तब से रिहाना अपने परिवार के साथ ही रहती है। घर वापसी के बाद रिहाना ने दुबारा शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने और समाज में अपनी पहचान पाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बी.ए. में एडमिशन लिया। लेकिन अपने लैंगिक पहचान (ट्रांसजेंडर) के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने के कारण तीसरे वर्ष में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वर्तमान में रिहाना गैर सरकारी संस्था एडेंट में वर्चुअल काउंसलर के रूप में काम कर रही है और साथ ही साथ वे एक सामाजिक कार्यकर्ता

के रूप में अपने समुदाय के अधिकारों और सम्मान हासिल करने की लड़ाई भी लड़ रही है। रिहाना कि हार्मोन थेरेपी हो गई है और उनका सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी भी। अब वो दोहरे जीवन की कशमकश के मानसिक तनाव से बाहर आकर एक बेहतर जीवन व्यतीत कर रहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के 2014 नालसा फैसले पर रिहाना का मानना है कि फैसले में ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण एवं सशक्तिकरण की काफी बातें की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) बिल 2019 को रिहाना ने सरकार की तरफ से समुदाय की भलाई के लिए सकारात्मक पहल बताया साथ ही साथ इसमें कुछ और विषयों को जोड़ने का सुझाव भी दिया। जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन दिया जाना, अस्पतालों में पुरुष और महिला चिकित्सा विभाग की तरह ट्रांसजेंडर विभाग की स्थापना किया जाना, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में उन्हें ट्रांसजेंडर के रूप में प्रवेश किया जाना चाहिए जिस कारण अधिकांश ट्रांसजेंडर छात्र अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाए इत्यादि ।

-विशाल कुमार गुप्ता द्वारा साक्षात्कार

राम्या नारायणम गिरि एक ट्रांसवुमन हैं, जो एक प्रसिद्ध भारत नाट्यम डांसर, मेकअप आर्टिस्ट और डीटीसी बसों में एक गार्ड मार्शल हैं। वह अभिनय में भी अच्छी हैं क्योंकि वह रामलीला में और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती थीं। राम्या के पिता एक अनुबंधित मजदूर हैं और माँ एक हाउस वाइफ हैं। वह अपने परिवार के साथ रहती हैं। राम्या के चार भाई-बहन हैं। उसके बड़े भाई ने राम्या का काफी साथ दिया लेकिन उसके बाकी भाई-बहन उसके प्रति बहुत सहयोगात्मक नहीं थे।

राम्या नारायणम गिरी अलियास (राहुल गिरि) का जन्म दिल्ली के एक निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जन्म से वह एक लड़का था लेकिन बाद में उसने खुद को एक ट्रांसवूमन के रूप में पहचान लिया। राम्या ने महसूस किया कि जब वह 8 वीं कक्षा में थी तब उसे एक लड़की की तरह महसूस हुआ।

“मुझे बचपन से एक लड़की की तरह महसूस होता था, मुझे एक लड़की की तरह कपड़े पहनना और लड़कियों के साथ समय बिताना पसंद था। शुरू में मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत है लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं”।

राम्या के परिवार ने शुरू में राम्या का समर्थन नहीं किया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके परिवार ने उसकी लिंग पहचान को स्वीकार कर लिया। हालाँकि राम्या की माँ राम्या की नई पहचान को साझा करने में अनिच्छुक थी, क्योंकि वह दूसरों के साथ एक ट्रांसवुमन के रूप में थी, उन्हें डर था कि रिश्तेदार और पड़ोसी राम्या और उसके परिवार का मज़ाक उड़ाएंगे। उन्होंने राम्या को हिजड़ा समुदाय की टोली बधाई प्रथा कभी नहीं करने की चेतावनी दी और इसलिए राम्या ने इस परम्परा से दूरी बनाए रखने और केवल अपनी मेहनत और कौशल से पैसे कमाने का फैसला किया।

राम्या ने दिल्ली के शाहबाद डेयरी के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय से 12 वीं कक्षा की पढाई पूरी। स्कूल में उसे अपनी स्त्री प्रकृति के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने एक लड़के के रूप में स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि उसे एक ट्रांसजेंडर होने के कारण बदमाशी और भेदभाव का डर था और एक अन्य कारण यह था कि राम्या की माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी पहचान समाज के सामने प्रकट करे, क्योंकि वे इसे एक कलंक मानती थी। राम्या को अपनी कक्षा के लड़कों द्वारा ताने और छेडछाड का सामना करना पड़ा। शिक्षक भी बहुत सहयोगी नहीं थे, लेकिन उनके प्रिंसिपल काफी सहायक थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राम्या बी.ए.प्रोग्राम मुक्त शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन संसाधनों की कमी और खराब स्वास्थ्य के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई।

अपने अध्ययन काल के दौरान राम्या रामलीला में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने शैक्षिक खर्च या फीस की व्यवस्था खुद ही करती थी। बचपन से ही राम्या को नृत्य में रुचि थी इसलिए उन्होंने भरत नाट्यम सीखने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन में शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए प्रवेश लिया। राम्या ने सी. पी. दिल्ली में एमएसएमइ से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया, जहाँ एक दर्जी के रूप में भी उन्होंने काम किया। राम्या ने न तो बधाई-टोली जैसे सामुदायिक रिवाज़ में भाग लिया और न ही वह किसी घराने में शामिल हुईं। वह अपने परिवार में बनी रही और कड़ी मेहनत करके और किसी पर निर्भर हुए बिना पूरी तन्मयता के साथ जीवन जीने का फैसला किया। राम्या कभी किसी हार्मोनल थैरेपी से नहीं गुजरीं और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के लिए भी नहीं गईं।

राम्या 2018 में दिल्ली में डीटीसी बसों में एक होमगार्ड मार्शल के रूप में शामिल हुईं। उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा बसों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि वह उस काम को करने के लिए रोजाना 700 रुपये प्राप्त करती थी।

राम्या ने यह भी साझा किया कि वह ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट 2019 से बहुत खुश और संतुष्ट नहीं थीं, खासकर लिंग पहचान के संबंध में तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रमाणितकिये जाने को लेकर।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का विवरण ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है जिसमें वह सहज नहीं है। वह इस प्रावधान से बहुत नाखुश थी कि कोई और ट्रांस लोगों की लिंग पहचान को प्रमाणित करने वाला है।

"मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है और मेरे समुदाय के अधिकांश लोग भी अंग्रेजी भाषा के कारण अधिनियम को समझने में सक्षम नहीं हैं। उसने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग हमें प्रमाणित करें कि हम कौन हैं"। उसने महसूस किया कि भारत में भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, इसलिए एक ट्रांसजेंडर होने के नाते सम्मान की उम्मीद करना और भी मुश्किल है। समाज और मीडिया को अधिक जिम्मेदार होने की आवश्यकता है"।

-आकांक्षा सिंह द्वारा साक्षात्कार

ट्रांसजेंडर संसाधन केंद्र के द्वारा कुछ पहल

- उच्च शिक्षा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने हेतु लिए एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी, विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह में साथी संस्था के साथ। जिसमे चर्चा की गई की कैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा में लाया जा सकता है।

- ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा करवा चौथ की पूर्व संध्या पर ट्रांसजेंडर समुदाय की आर्थिक रूप से सहायता करने के उद्देश्य से मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन।

- जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करने के लिए आयोजित परामर्श कार्यक्रम। निम्नलिखित प्रमुख घटकों उद्देश्य प्राप्ति का लक्ष्य:
    - आजीविका और रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता सृजन और संवेदनशीलता।
    - व्यावसायिक और जीवन कौशल एवं अन्य क्षमता निर्माण का समर्थन।
    - उद्यमिता विकास।

UNIVERSITY OF DELHI
INTERNATIONAL GUES
INAUGURATE
BY
PROFESSOR DEEPA
VICE-CHANCEL
ON
THURSDAY THE

- **ट्रांसजेंडर छात्रों की चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा:**

संपादक

डॉ. राजेश कुमार (प्रोफेसर, डीएसीईई, दिल्ली विश्वविद्यालय)

अनुवादक

विशाल कुमार गुप्ता (पीएचडी शोधार्थी, डीएसीईई, दिल्ली विश्वविद्यालय)

सम्पादकीय योगदान

डॉ. गीता मिश्रा (एसोसिएट प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी)
नीतीश आनंद (पीएचडी शोधार्थी, डीएसीईई, दिल्ली विश्वविद्यालय)

साक्षात्कार योगदान

डॉ. गीता मिश्रा (एसोसिएट प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी)
विशाल कुमार गुप्ता (पीएचडी शोधार्थी, डीएसीईई, दिल्ली विश्वविद्यालय)
आकांक्षा सिंह (पीएचडी शोधार्थी, डीएसीईई, दिल्ली विश्वविद्यालय)

नेटवर्क सहायक

डॉ. जे.के. मिश्रा
डॉ.पवन कुमार
प्रमोद कुमार
जय प्रताप सिंह
डॉ. बानीवोरा
डॉ. बिरेश पच्चीसिया

समुदाय सहायक

अमृता शंकर
रिहाना
रम्या

डिजाइन

रामेश्वर गुप्ता (शोधार्थी, डीएसीईई, दिल्ली विश्वविद्यालय)